

FORM NO. 111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय

श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर नगरी


बनाम बीरबल बैरह

किरम मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर - 26/2021


29/12/21

वकील डिक्रीदार श्री फूलचन्द सामोता एडो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.21 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

02.09.2024

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में कार्यालय हाज़ा के श्री सॉवरमल यादव भू. अभिलेख निरीक्षक ने अवगत कराया कि ऑनलाईन मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तरण संख्या 483 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फ़ैसल की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मुकदमा नम्बर

श्रीमाधोपुर

कादेश की पालना

नं. सं. 483 दि.

14.7.22 द्वारा

की जारी

